

झारखण्ड सरकार
योजना-सह-वित्त विभाग

राँची, दिनांक : 30/03/2016

प्रेषक,

अमित खरे,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 के झारखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 सम्बद्ध अधिनियम-09/2016, दिनांक-30.03.2016 द्वारा प्रावधानित राशि के व्यय की अनुमति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट से सम्बन्धित झारखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 पर माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा दिनांक-23.03.2016 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है । इसका प्रकाशन झारखण्ड अधिनियम संख्या-09/2016 दिनांक-30.03.2016 के रूप में झारखण्ड राज्य के असाधारण अंक में हो चुका है ।

अतः उपरोक्त विनियोग अधिनियम के तहत किये गये बजट प्रावधान का व्यय दिनांक-01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि में नियमानुसार राज्य की संचित निधि से किया जा सकता है ।

नोट :-

(i) प्रावधानित राशि का स्वीकृत्यादेश तथा आवंटनादेश पूर्व की भाँति online ही निर्गत किये जायें ।

(ii) स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश online किया जा रहा है, जो कि योजना-सह-वित्त विभाग के IFMS सॉफ्टवेयर द्वारा संधारित किया जा रहा है । अतः इनकी सूचनार्थ प्रतियाँ योजना-सह-वित्त विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं है । पूर्व से ही इस तरह की अपेक्षा किये जाने के बावजूद इनकी सूचनार्थ प्रतियाँ (Hard copy) योजना-सह-वित्त विभाग को उपलब्ध कराई जाती रही है । इसके कारण कागज की बर्बादी के साथ मानव श्रम की भी बर्बादी होती है ।


अनुदान मांगें 2016-17 झारनेट की वेबसाइट-<http://172.16.20.15/budgetjhr> पर भी उपलब्ध है ।

- अनुलग्नक : 1. झारखण्ड बजट 2016-17 का एक सेट ।
2. माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण 2016-17 का एक सेट ।
3. बजट 2016-17 की मुख्य विशेषताएँ ।

विश्वासभाजन,
30.3.2016
(अमित खरे)


सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक - 29/बी0टी0ई0-10/2015-16/...192.../बजट, राँची, दिनांक - 30/03/2016
 प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / सचिव, झारखण्ड विधानसभा / महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


 30.3.2016
 (अमित खरे)


सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक - 29/बी0टी0ई0-10/2015-16/...192.../बजट, राँची, दिनांक - 30/03/2016
 प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


 30.3.2016
 (अमित खरे)


सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक - 29/बी0टी0ई0-10/2015-16/...192.../बजट, राँची, दिनांक - 30/03/2016
 प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा परीक्षा), झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


 30.3.2016
 (अमित खरे)


सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक - 29/बी0टी0ई0-10/2015-16/...192.../बजट, राँची, दिनांक - 30/03/2016
 प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी जिलों के उप-विकास आयुक्त / सभी कोषागार / उपकोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


 30.3.2016
 (अमित खरे)

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक - 29/बी0टी0ई0-10/2015-16/...192.../बजट, राँची, दिनांक - 30/03/2016
 प्रतिलिपि : अवर सचिव, लेखा शाखा, योजना-सह-वित्त विभाग / निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय / राष्ट्रीय बचत / प्रेस शाखा / कोषागार शाखा / अंकेक्षण शाखा / बजट शाखा / योजना शाखा, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


 30.3.2016
 (अमित खरे)

सरकार के प्रधान सचिव ।

अनुलग्नक : झारखण्ड बजट 2016-17 का एक सेट ।